



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 26 राँची, गुरुवार,

9 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

20 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-33/2022 का०- 8242--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 612/03), तत्कालीन संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरुद्ध संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पदस्थापन अवधि के दौरान आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में लोक निर्माण विभाग संहिता, 2012 के नियम 163(A) का उल्लंघन कर विभागीय निविदा समिति के सदस्य के तौर पर निविदित दर से 10 प्रतिशत से भी ज्यादा Below तक Quote किए गए निविदाओं को L-1 मानते हुए निविदा आवंटित करने संबंधी आरोप, जैसा कि पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 2460 दिनांक-05.07.2024 के द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त उपर्युक्त आरोप पत्र पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. तदनुसार एतद द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप सचिव/अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री संजय कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
